

// आदेश //

(पारित दिनांक 11/11/2015)

आवेदिका श्रीमती रामकली अवरथी पत्नी स्व.श्री लखनलाल अवरथी निवासी- शिव नगर कालोनी विदिशा रोड भोपाल द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र प्रभाकर अवरथी की प्रताड़ना से तंग है आवेदिका की एक कुंवारी पुत्री है जो पढ रही है। पुत्र द्वारा आवेदिका को मारने की धमकी देता है तथा बहू दहेज प्रथा का केस लगाने की धमकी आये दिन देती है। आवेदिका पुत्र से अलग दो कमरे लेकर रहने लगी थी पुत्र ने ताला खोलकर सारा सामान निकाल लिया और बाहर ताला लगा दिया। यह मकान आवेदिका ने जमीन खरीद कर स्वयं दिन रात मेहनत करके बनवाया था। आवेदिका ने पुत्र से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं चाही है (भरण पोषण हेतु) बल्कि आवेदिका द्वारा बताया गया उसके पति रेल्वे में कार्यरत थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है इनकी पेंशन से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आवेदिका को रहने के लिये मकान की आवश्यकता है।

आवेदिका की सहमति से उक्त मकान का उपरी हिस्सा (पहली मंजिल) आवेदिका को दिया जाये शेष निचला हिस्सा उसके पुत्र प्रभाकर अवरथी को दिये जाने में आवेदिका को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभय पक्षों को सुना गया एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा के अवलोकन उपरान्त में यह निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदिका के पति द्वारा उक्त मकान का निर्माण कराया गया था जिसमें आवेदिका, पुत्र एवं पुत्री तीनों का स्वत्व माना जाकर आवेदिका की स्थित को ध्यान में रखते हुये आदेशित करता हूँ कि वर्तमान स्थिति में आवेदिका को मकान की प्रथम मंजिल अर्थात् उपरी हिस्सा तथा पुत्र को मकान का नीचे का हिस्सा उपयोग हेतु दिया जाता है।

इस आदेश का पालन तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं पालन न करने पर पुत्र के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी  
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)  
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)  
भोपाल दिनांक 20/03/15

पृ०क० 319 री.अ.वि.अ.गो/2015

1. थाना प्रभारी थाना छोला मंदिर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री प्रहलाद सिंह मीना राजस्व निरीक्षक गोविन्दपुरा वृत्त की ओर लेख कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन करावे एवं प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. आवेदिका श्रीमती रामकली अवरथी निवासी- शिव नगर कालोनी विदिशा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अनावेदक श्री प्रभाकर अवरथी आ० स्व.लखन लाल अवरथी निवासी- शिव नगर कालोनी विदिशा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी  
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)  
गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल (म.प्र.)